

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 495 / 03

संस्थित दिनांक-26.12.02

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मालनपुर

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

जण्डेल पुत्र भैरोंसिंह गुर्जर उम्र 65 साल

निवासी लक्ष्मणगढ थाना महाराजपुरा

जिला ग्वालियर म०प्र०

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 18.12.17 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा-380, 457 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 01-02.05.2001 की दरम्यानी रात में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क रेंज मालनपुर जो कि फरियादी करन चीमा के आधिपत्य का होकर संपत्ति अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आता है, में बिना उसकी अनुमति के अनाधिकृत रूप से प्रवेशकर रात्राप्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया तथा फरियादी करन चीमा के आधिपत्य के कंप्यूटर (सीपीयू, मोनीटर, प्रिंटर) दो दीवाल घड़ी, तीन कूलर, इमरजेंसी लाईट, व टेबिल लैम्प कुल कीमती 60 हजार रुपये को बेईमानीपूर्ण आशय से बिना उसकी अनुमति के सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के लिए ले जाकर चोरी की।

2. प्रकरण में अभियुक्त प्रकाश, कल्ला उर्फ करुआ, मेहताबसिंह तथा उदयवीरसिंह के संबंध में निर्णय पारित हो चुका है। अभियुक्त दशरथ पुत्र मातादीन गुर्जर के विरुद्ध धारा 299 दप्रस की कार्यवाही शेष है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 01-02.05.2001 की दरम्यानी रात कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क रेंज मालनपुर में अज्ञात चोरों द्वारा प्रवेशकर फरियादी करन चीमा के आधिपत्य के कंप्यूटर, सी.पी.यू., मोनीटर, प्रिंटर, दो दीवाल घड़ी, तीन कूलर, इमरजेंसी लाईट एवं टेबिल लैम्प चुराने की लिखित रिपोर्ट फरियादी करन चीमा द्वारा दि० 02.05.01 को दोपहर 12-05 बजे थाना मालनपुर पर की जाने पर थाना मालनपुर में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध

अपराध क्रमांक 68/2001 अंतर्गत धारा 457, 380 भादस० पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त प्रकाश से कंप्यूटर, सी०पी०यू० आदि जब्त किया गया तथा अभियुक्त जण्डेल के मकान से दो कूलर जब्त किए गए। घटनास्थल के पास से एक ताला तथा एक लोहे का कूलर स्टैण्ड जब्त किया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ़्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण में अभियुक्त ने निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्त ने दि० 01-02.05.01 की दरम्यानी रात में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क रेंज मालनपुर जो कि फरियादी करन चीमा के आधिपत्य का होकर संपत्ति अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आता है, में बिना उसकी अनुमति के अनाधिकृत रूप से प्रवेशकर रात्रोप्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?

2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी करन चीमा के आधिपत्य के कंप्यूटर (सीपीयू, मोनीटर, प्रिंटर) दो दीवाल घड़ी, तीन कूलर, इमरजेंसी लाईट, व टेबिल लैम्प कुल कीमती 60 हजार रुपये को बेईमानीपूर्ण आशय से बिना उसकी अनुमति के सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के लिए ले जाकर चोरी की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में जबरसिंह अ०सा० 1, दिनेशसिंह अ०सा० 2, निहालसिंह अ०सा० 3, आर०सी० कर्ण अ०सा० 4, करनसिंह चीमा अ०सा० 5, विकास आंबेराय अ०सा० 6, प्रवीण सिरौही अ०सा० 7, ज्ञानसिंह अ०सा० 8 तथा सुरेन्द्रसिंह परमार अ०सा० 9 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में उत्पन्न पुनरावृत्तियों के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

7. फरियादी करनसिंह चीमा अ०सा० 5 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 30 अप्रैल 2001 को वे स्थानान्तरित होकर केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क डिवीजन ग्वालियर में आया था एवं उक्त दिनांक को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेंज सेकेण्ड मालनपुर में डिवीजन ग्वालियर में

कार्यभार ग्रहण किया था। दिनांक 01-02 मई 2001 की रात में केन्द्रीय कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेंज मालनपुर जो एस0आर0एफ0 फैक्ट्री के सामने स्थित था, से कार्यालय का सामान चोरी हो गया था। उसे ग्वालियर में हरीचरन सिपाही के द्वारा चोरी के संबंध में सूचना दी गयी थी। सूचना मिलने पर थाना मालनपुर कार्यालय पहुंचे थे वहां पर देखा कि कार्यालय के ताले टूटे थे और कंप्यूटर जिसमें सीपीयू, मोनीटर और प्रिंटर थे, दो दीवाल घड़ी, तीन कूलर, इमरजेंसी लाईट तथा टेबिल लैम्प चोरी हो गए थे। उक्त चोरी के संबंध में उनके द्वारा थाना मालनपुर में लेखीय आवेदन प्र0पी0 6 दिया था जिस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। तत्पश्चात् प्र0पी0 7 की प्राथमिकी पर भी अपने हस्ताक्षर ए से ए भाग पर होने का कथन करते हैं। नक्शामौका प्र0पी0 8 उनके समक्ष बनाए जाने जिस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। आफिस में चोरी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किए जाने का कथन करते हैं।

8. प्रवीण सिरौही दिनांक 01.05.01 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेंज द्वितीय में निरीक्षक के पद पर पदस्थ होने का कथन करते हुए बताते हैं कि जब सुबह दस बजे वे कार्यालय आए तो उन्हें सिपाही ने बताया था कि रात में कार्यालय में ताला तोड़कर चोरी हो गयी जिसमें मोनीटर, प्रिंटर, दीवाल घड़ियां, तीन कूलर व इमरजेंसी लाईट चोरी हो गयी थी। विकास ऑबेराय यह बताते हैं कि उक्त दिनांक को सिपाही हरदयाल ने उनके सामने अधीक्षक करनवीरसिंह चीमा को बताया था कि आफिस के ताले टूटे हुए हैं और चोरी हो गयी है। यह साक्षी चोरी में उक्त सामान जाने का कथन करते हैं तथा चोरी 1-2 मई 2001 की मध्य रात्रि में होना बताते हैं। उक्त साक्षीगण प्र0पी0 8 के नक्शामौका पर क्रमशः सी से सी और बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। उक्त तीनों साक्षियों करनवीर अ0सा0 5, प्रवीण अ0सा0 7 तथा विकास ऑबेराय अ0सा0 6 तीनों के साक्ष्य में यह तथ्य अखण्डित रहा है कि दिनांक 01-02 मई 2001 को दरम्यानी रात में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय मालनपुर से कंप्यूटर, प्रिंटर, मोनीटर, सीपीयू आदि सामान चोरी हो गया था। उक्त साक्षियों को प्रतिपरीक्षण में अभिकथित चोरी के संबंध में कोई चुनौती भी नहीं दी गयी है। इस प्रकार से चोरी के संबंध में उक्त कथन अखण्डनीय होने से विश्वास योग्य पाए जाते हैं तथा परस्पर अभिसाक्ष्य एवं दस्तावेजों प्र0पी0 6, 7, 8 से पुष्ट होकर प्रमाणित करते हैं।

9. आर0सी0 कर्ण अ0सा0 4 अपने अभिसाक्ष्य में बताते हैं वे दिनांक 19.08.01 को थाना मालनपुर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को अभियुक्त प्रकाश से पूछताछ कर मेमोरेण्डम प्र0पी0 3 लिया था जिस पर उनके बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। उक्त मेमोरेण्डम के आधार पर अभियुक्त के द्वारा उसके हिस्से में प्राप्त कंप्यूटर उसके घर में रखा होना बताया गया था जिसके आधार पर अभियुक्त प्रकाश के आधिपत्य से प्र0पी0 4 के जब्ती पत्रक अनुसार कंप्यूटर के सामान जब्त किए जाने के संबंध में कथन किया गया है। उक्त मेमोरेण्डम प्र0पी0

3 में अभियुक्त जण्डेलसिंह के अपराध में लिप्त होने के तथ्य के संबंध में अभियोजन का तर्क है कि अभियुक्त प्रकाश के मेमोरेण्डम प्रपी0 3 में चोरी के अपराध में अभियुक्त जण्डेलसिंह के लिप्त होने के संबंध में तथ्य स्पष्ट हुआ है ऐसी दशा में अभियुक्त जण्डेलसिंह के विरुद्ध सुसंगत तथ्य है। प्रपी0 3 का मेमोरेण्डम धारा 27 साक्ष्य विधान का है जो कि पता चले तथ्य के आधार पर किसी तथ्य की खोज होने पर सुसंगत होता है अन्यथा उसका कोई साक्षिक मूल्य नहीं है। चूंकि प्रकरण में प्रपी0 3 में अभियुक्त जण्डेलसिंह के संबंध में तथ्य प्रकट हुआ है ऐसी दशा में क्या उक्त तथ्य के आधार पर किसी तथ्य की खोज हुई, यह आगे विवेचन का विषय है।

10. करनवीर अ0सा0 5, प्रवीण सिरौही अ0सा0 7 तथा विकास आंबेराय अ0सा0 6 तीनों ने अपने अभिसाक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने न तो किसी व्यक्ति को चोरी करते देखा और न उनके समक्ष कोई चोरी की संपत्ति जब्त हुई, वे अभियुक्तगण को भी नहीं जानते हैं ऐसी दशा में अभियुक्त जण्डेलसिंह के संबंध में कोई चक्षुदर्शी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। ऐसी दशा में अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सुसंगत श्रृंखला पर निर्भर हो जाता है। प्रकरण में साक्षी ज्ञानसिंह अ0सा0 8 ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है कि वे न तो जण्डेलसिंह को जानते हैं और न उनके समक्ष पुलिस ने कोई कार्यवाही की थी। साक्षी प्रपी0 1 के जब्ती पत्रक पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर अवश्य स्वीकार करते हैं किन्तु अभियुक्त के मकान से कोई भी संपत्ति जब्त होने का समर्थन नहीं करते हैं। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी उसके एवं अनुपम के समक्ष सुदर्शन सिल्वर कंपनी के मोनो लगे दो कूलर जब्त किए जाने के तथ्य से इंकार करते हैं। साक्षी अनुपम को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका और वह अदम पता हो गया।

11. उक्त जब्ती पत्रक प्रपी0 1 के निष्पादक सुरेन्द्रसिंह परमार अ0सा0 9 अपने अभिसाक्ष्य में बताते हैं कि उन्होंने दि० 14.03.04 को अभियुक्त जण्डेलसिंह के मकान ग्राम लक्ष्मणगढ से दो लोहे के कूलर सुदर्शन सिल्वर कंपनी के मोनो लगे हुए जब्त किए थे जिसके जब्ती पत्रक प्रपी0 1 पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। प्रपी0 1 के जब्ती पत्रक के संबंध में सर्वप्रथम तो संदेहपूर्ण तथ्य यह है कि उक्त जब्ती पत्रक में ग्राम लक्ष्मणगढ जहां अभियुक्त का मकान बताया गया है, वहां का कोई साक्षी नहीं है। अभियुक्त के आधिपत्य से कथित कूलर जब्त किए जाने के संबंध में अभिलेख पर तथ्य नहीं है बल्कि मकान से जब्ती करना दर्शाई गयी है। सुरेन्द्रसिंह परमार अ0सा0 9 प्रतिपरीक्षण में यह बताने में अस्मर्थ रहे हैं कि अभियुक्त के मकान का दरवाजा किस दिशा में है। साक्षी द्वारा स्थानीय व्यक्ति को अभिकथित कार्यवाही का साक्षी न बनाए जाने का अभिलेख पर कोई कारण नहीं है। प्रपी0 1 के जब्तीपत्रक में कॉलम नं० 1 व 4 में ओवर राइटिंग भी है। कथित अभियुक्त के मकान से जो कूलर जब्त करना बताया गया है उक्त मकान में अभियुक्त के अतिरिक्त किन व्यक्तियों का आधिपत्य व रहन सहन था, यह स्पष्ट नहीं है। यदि तर्क के लिए कथित कूलर

पुलिस द्वारा जब्त किया जाना मान भी लिया जाए तो प्र०पी० 6 के आवेदन पत्र, प्र०पी० 7 की प्राथमिकी में कहीं भी यह लेख नहीं हैं कि जो कूलर जब्त हुए वे किस कंपनी के थे और उनका क्या नंबर था। साथ ही उक्त कूलर की कोई शिनाख्त किसी भी व्यक्ति से नहीं कराई गयी है। ऐसी दशा में कथित कूलर चोरी हुए कूलर ही थे, यह तथ्य संदिग्ध हो जाता है। इस प्रकार से प्रकरण में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सुसंगत श्रृंखला खण्डित हो जाती है।

12. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत जोश उर्फ पप्पाचान विरुद्ध पुलिस उपनिरीक्षक कोयीलैण्डी व अन्य ए०आई०आर० 2016 एस०सी० 4581: 2016-4 सी०सी०एस०सी० 1807 में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 53 में यह मताभिव्यक्ति की है कि “विधि की पुरातन प्रस्थापना है कि संदेह चाहे जितना भी गम्भीर हो, यह सबूत का स्थान नहीं ले सकता और यह कि अभियोजन दाण्डिक आरोप पर सफल होने के लिए “सत्य हो सकेगा” की परिधि में अपने मामले को दाखिल करने का साहस नहीं कर सकता, किन्तु उसे आवश्यक रूप से “सत्य होना चाहिए” के संवर्ग में उसे उद्धृत करना चाहिए। दाण्डिक अभियोजन में, न्यायालय का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि मात्र अटकलबाजी या संदेह विधिक सबूत का स्थान ग्रहण नहीं करते और ऐसी स्थिति में, जहां उपलब्ध साक्ष्य की पृष्ठभूमि में युक्तियुक्त संदेह स्वीकार किया जाता है, न्याय की विफलता को निवारित करने के लिए संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा संदेह आवश्यक रूप से युक्तियुक्त होना चाहिए न कि काल्पनिक, कल्पनापूर्ण, अमूर्त या अस्तित्वहीन, किन्तु जैसा कि निष्पक्ष, प्रज्ञापूर्ण और विश्लेषणात्मक मस्तिष्क द्वारा स्वीकार्य हो, कारण और सामान्य ज्ञान की कसौटी पर निर्णीत किया गया हो। दाण्डिक न्यायशास्त्र में प्राथमिक शर्त भी है कि यदि उपलब्ध साय पर दो मत संभव है, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध को और दूसरा उसकी निर्दोषता को निर्दिष्ट कर रहा है, तो अभियुक्त के पक्ष में मत को अंगीकार किया जाना चाहिए।”

13. उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 01-02.05.2001 की दरम्यानी रात में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क रेंज मालनपुर जो कि फरियादी करन चीमा के आधिपत्य का होकर संपत्ति अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आता है, में बिना उसकी अनुमति के अनाधिकृत रूप से प्रवेशकर रात्रोप्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया तथा फरियादी करन चीमा के आधिपत्य के कंप्यूटर (सीपीयू, मोनीटर, प्रिंटर) दो दीवाल घड़ी, तीन कूलर, इमरजेंसी लाईट, व टेबिल लैम्प कुल कीमती 60 हजार रुपये को बेईमानीपूर्ण

आशय से बिना उसकी अनुमति के सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के लिए ले जाकर चोरी की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 457, 380 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

14. अभियुक्त की जमानत भारहीन की गयी, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

15. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति का निराकरण अन्य सह अभियुक्तगण के निर्णय के समय किया जावेगा।

16. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में धारा 428 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

17. प्रकरण अन्य सह अभियुक्त फरार हैं। अतः प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर नोट लगाया जावे कि अन्य अभियुक्त फरार हैं, प्रकरण नष्ट न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश